भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 181*

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस द्वारा फोन पर जासूसी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

***181. श्रीमती अम्बिका सोनी :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने निजी जासूसी एजेंसियों द्वारा अवैध रुप से कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) प्राप्त करके मोटी रकम कमाने के लिए फोन पर जासूसी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है कि इस प्रकार के कॉल डिटेल रिकार्डस (सीडीआर) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सांठगांठ करके अन्य शहरों से अवैध ढंग से प्राप्त किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कॉल डिटेल रिकार्डस का उपयोग भयादोहन, अपहरण जैसी अवैध गतिविधियों और आतंकवादियों द्वारा भी किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह मंत्री **(श्री राजनाथ सिंह)**

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 03 अगस्त, 2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 181 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क) से (घ) : दिल्ली पुलिस ने हाल में अवैध रूप से कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त करने के दो मामलों का पता लगाया है और दो मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला पुलिस स्टेशन अपराध शाखा में दिनांक 04.07.2016 को भा.दं.सं. की धारा 409/420/464/120-ख और भारतीय तार अधिनियम की धारा 24/25 के तहत प्राथमिकी सं. 110/16 के रूप में दर्ज किया गया है और अब तक छह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरा मामला पुलिस स्टेशन अपराध शाखा में दिनांक 12.07.2016 को भा.दं.सं. की धारा 409/419/420/120-ख/34 के तहत प्राथमिकी सं. 119/16 के रूप में दर्ज किया गया है और अब तक चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ड.) : जहां तक विधि प्रवर्तन एजेंसियों का संबंध है, सरकार ने समय-समय पर उन्हें टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं से विधि के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। जब अवैध रूप से सीडीआर प्राप्त करने के मामलों का पता चलता है अथवा ध्यान में आता है, तो विधि के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

*****